

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ0 राधाकृष्ण शिखा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302015  
ईमेल: raj.minocell@gmail.com  
वेबसाईट: www.minority.rajasthan.gov.in

फोन: 0141-2711773

क्रमांक:- एफ 4(3) अ.स.नि./मेरिट कम मीन्स/ छात्रवृत्ति/2020-21/ 9509

दिनांक :- 22/12/2020

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी

समस्त जिला

विषय :- वर्ष 2020-21 में छात्रवृत्ति योजनाओं में नवीन एवं नवीनीकरण आवेदनों में अंक प्रतिशत निर्धारण की पात्रता के संबंध में।

संदर्भ:- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली से प्राप्त ई-मेल दिनांक 21.12.2020 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र में लेख है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशानुसार अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों हेतु वर्ष 2020-21 की छात्रवृत्ति योजना में नवीन एवं नवीनीकरण आवेदकों के गत प्राप्तांक प्रतिशत के संबंध में की पात्रता निम्नानुसार है:-

(i) **For Post Matric applicants:** The existing criteria of 50% marks to apply under Post Matric Scholarship Schemes stands relaxed and all applicants who have scored 50% or above marks or considered 'Pass' shall be considered eligible to apply for 'Fresh' or 'Renewal' Scholarship on NSP Portal during 2020-21.

(ii) **For Merit-cum-Means based Scholarship Scheme:** The existing criteria of 50% marks to apply under MCM Scholarship Scheme stands relaxed and all applicants who have scored 50% or above marks or considered 'Pass' shall be considered eligible to apply for 'Renewal' Scholarship on NSP Portal during 2020-21. However, there will be no relaxation in the existing criteria of 50% marks to apply under MCM scholarship scheme for 'Fresh' applicants.

अतः उक्त पात्रतानुसार योजनान्तर्गत अधिकाधिक आवेदन कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न करे, ताकि अधिकाधिक लाभार्थी योजनान्तर्गत लाभान्वित हो सकें।

21/12/2020  
(जमील अहमद कुरैशी)  
निदेशक

दिनांक :- 22/12/2020

क्रमांक:- एफ 4(3) अ.स.नि./मेरिट कम मीन्स/ छात्रवृत्ति/2020-21/ 9510-11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज. जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली कार्यालय हाजा।

नसीम खान  
21/12  
(नसीम खान)  
उपनिदेशक द्वितीय